

कुलानुशासक कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

दिनांक 03.05.2017

प्रेस-विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान समय में संचालित विधि पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर विभिन्न सेमेस्टर्स की परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता बनाये रखने की दृष्टि से स्नातक परीक्षाओं की भाँति निम्नवत् व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

1. विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षार्थियों को उनके प्रवेश पत्र देखकर प्रातः 7.30 बजे से पूर्व की भाँति अन्दर आने की अनुमति दी जायेगी।
2. परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा से सम्बन्धित कोई पाठ्य सामग्री मोबाइल फोन या बैग आदि नहीं लायेंगे। निरीक्षण के समय ऐसी सामग्री पाये जाने पर उसे मुख्य द्वार के बाहर रखवा दिया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नहीं होगी। यदि यह सामग्री परीक्षा कक्ष में पायी जायेगी तो अनुचित साधन प्रयोग के अर्न्तगत उनकी परीक्षा निरस्त की जा सकती है।
3. परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थल पर बैठकर ही परीक्षा देंगे। निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य जगह पर बैठकर परीक्षा देने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
4. परीक्षा अवधि में अनाधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश करने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे भी परिसर के बाहर ही रहने का कष्ट करें।
5. लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावासों में आग्नेयास्त्रों (वैधानिक एवं अवैधानिक) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
6. विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से भी उपरोक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करवाने में विश्वविद्यालय प्रशासन की सहायता करें तथा परीक्षा कक्ष के अन्दर कोई भी पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या बैग आदि ले जाने की अनुमति न प्रदान करें। जिस परीक्षार्थी के पास ये सामग्रियाँ पायी जायेगी वह अनुचित साधन प्रयोग का दोषी माना जायेगा।

(प्रो० विनोद सिंह)

संख्या 1859-1890 दिनांक : 03.05.2017

1. प्रतिलिपि माननीय कुलपति महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि समस्त विभागाध्यक्षों को उक्त आशय की सूचना प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
6. परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
7. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
8. इंचार्ज वेबसाइट को आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. प्रभारी, पुलिस चौकी, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।

(प्रो० विनोद सिंह)

कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ